

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 783] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937
No. 783] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 970(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 381(अ), द्वारा तारीख 27 जून, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (18) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

- "(19) राष्ट्रीय आसूचना बिल्ड ;
(20) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ।"

[फा. सं. पी. 12011/2/2009-एस.ओ. (ई.एस. सैन)]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 381(अ) तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 929(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. 763(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2010, सा.का.नि. 957(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2010 और सा.का.नि. 735(अ) तारीख 1 अक्टूबर, 2012, सा.का.नि. 30(अ) तारीख 17 जनवरी, 2014 और सा.का.नि. 564(अ) तारीख 6 अगस्त, 2014 द्वारा किये गये ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2015

G.S.R. 970(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of section 66 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.381(E), dated the 27th June, 2006, namely :—

In the said notification, after serial number (18) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

- “(19) The National Intelligence Grid;
- (20) Central Vigilance Commission.”

[F. No. P.12011/2/2009-S.O.(E.S. Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006 and subsequently amended vide number G.S.R. 929(E), dated the 29th December 2009, G.S.R. 763(E), dated the 15th September, 2010, G.S.R. 957(E) dated the 7th December, 2010, G.S.R. 735(E) dated the 1st October, 2012, G.S.R. 30(E) dated the 17th January, 2014 and G.S.R. 564(E) dated the 6th August, 2014.